प्रेस विज्ञप्ति

जल एवं सीवर विभाग नौएडा द्वारा जल के बकायदारों को ब्याज में छूट का लाभ देने हेतु एकमुश्त समाधान योजना (एमनेस्टी स्कीम) 1 दिसम्बर,2019 से लाई गई है जिसका लाभ लेने पर बकायदारों को दिसम्बर माह में ब्याज का 40 प्रतिशत, जनवरी माह में 30 प्रतिशत एवं फरवरी माह में ब्याज की धनराशि पर 20 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रावधान है । जल एवं राजस्व की समीक्षा के दौरान यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि इस योजना का लाभ उठाते हुए बकाया धनराशि जमा करने में आवंटियों द्वारा कम रूचि ली जा रही है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में जल खण्ड-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के औद्योगिक, संस्थागत एवं वाणिज्यिक श्रेणी के 1 लाख रूपये से अधिक के 316 बकायदारों की सूची तैयार कर उनके जल संयोजन काटे जाने की शुरूआत कर दी गई है । अब तक 316 बकायदारों के सापेक्ष 152 आवंटियों के जल एवं सीवर के संयोजन अस्थाई रूप से काटे जा चुके हैं । विगत दो दिनों में 18 बकायदारों के संयोजन काटे गये हैं जबकि 5 बकायेदारों ने मौके पर ही 17 लाख रूपये जमा कर दिए । आगे भी यह अभियान चलता रहेगा ।

इसी प्रकार ग्रुप हाउसिंग श्रेणी के कुल 53 आवंटियों पर 54 करोड़ 87 लाख रूपये का जल एवं सीवर के बिल का बकाया है । ग्रुप हाउसिंग के इन बड़े बकायदारों के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र (RC) जारी करने की प्रक्रिया विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है ।

THE GYM
health planet
ICICI Bank
GROFERS
GARG STORE
Beauty Parlour
BOBBY STORE
UP 16
AS 4481